रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैत्र 10, 1910
No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAITRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1988

का. आ. 324 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./88:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 218(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./78 तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) बज बज दक्षिण 24 परगना स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध तारीख 29 मार्च, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और वैस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 6-ए राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, सातवां तल, कलकत्ता-700013 को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार, ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे। 31 मार्च, 1988 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए निदेश जारी किए थे। देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 234(अ)/18क/आई. डी. आर. ए/83, तारीख 28 मार्च, 1983, सं. का. आ. 694(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 29 सितम्बर, 1983, सं. का. आ. 947(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 31 दिसम्बर, 1983, सं. का. आ. 465(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 971 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984 और सं. का. आ. 274(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./85, तारीख 29 मार्च, 1985, सं. का. आ. 142(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./86, तारीख 31

मार्च, 1986, सं. का. आ. 269(अ)/18क/आई. डी आर. ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987 और सं. का. आ. 868(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./87, तारीख 29 सितम्बर, 1987;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है। और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(25)/74-सी यू एस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th March, 1988

ORDERS

S.O. 324(E)|18A|IDRA|88.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218|(E)|18A|IDRA|78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited, located at Budge Budge, South 24 Parganas, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subhodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013 was appointed as the authorised controller.

And, whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 234(E)|18A|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, S. O. 694(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th September, 1983 S.O. 947(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st December, 1983, S.O. 465(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. 971(E)|18A|IDRA|84, dated the 29th December, 1984, S.O. 274(E)|18A|IDRA|85, dated the 29th March, 1985, S.O. 142(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986, S.O. 269(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987 and S. O. No. 868(E)|18A|IDRA|87, dated the 29th September, 87.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 31st March, 1989.

[F. No. 2 (25)|74-CUS]

का. आ. 325(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./88—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979, द्वारा तथा उपांतरित आदेश सं. का. आ. 529(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) (सचिव, बंद रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार कहा गया है) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स इंडिया बेंटिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिए और उसमें 31 मार्च, 1988 तक की, जिसके अंतर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे, (देखिये भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग) :—

सं. का. आ. 512(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए. 79, तारीख 4 सितम्बर, 1979

सं. का. आ. 749(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./80 तारीख 5 सितम्बर, 1980

सं. का. आ. 684(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 4 सितम्बर, 1981

सं. का. आ. 125(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 5 मार्च, 1982

सं. का. आ. 648(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 4 सितम्बर, 1982

सं. का. आ. 158(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 4 मार्च, 1983

सं. का. आ. 386(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 मई, 1983

सं. का.आ. 937(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983

सं. का. का. 470(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984

सं.का.आ. 947(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 18 दिसम्बर, 1984

सं. का. आ. 257(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./85, तारीख 28 मार्च, 1985

सं. का. आ. 119(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./86, तारीख 27 मार्च, 1986, तथा

सं. का. आ. 268(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./87, तारीख 30 मार्च, 1987;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 31 मार्च, 1989 तक की और अवधि के लिए रखा जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कि और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(14)/80—सी. यू. एस.]

S.O. 325(E)|18AA|IRDA|88.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974 ;

And whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry) (Department of Industrial Development)

Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1978,

S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980,

S.O.684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981,

S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982,

S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982,

S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983.

S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 470|E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 947(E)|18AA|IDRA|84, dated the 18th December, 1984,

S.O. 257(E)|18AA|IDRA|85, dated the 28th March, 1985,

S.O. 119(E)|18AA|IDRA|86, dated the 27th March, 1986, and

S.O. 268(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1989.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1989.

[File No. 2 (14)|80-CUS]

का. आ. 326(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./88:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 320(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./79 तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स अपोलो जिप्पर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बन्द और रुग्ण

उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार का, जिसे अब सचिव औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1988 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर निदेश जारी किए थे। (देखिए भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 246(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82 तारीख 25 मई, 1982, सं. का. आ. 832(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82 तारीख 24 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 385(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 872(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 30 नवम्बर, 1983, सं. का. आ. 472(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 975(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 29 दिसम्बर, 1984, का. आ. 275(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./85 तारीख 29 मार्च, 1985, सं. का. आ. 146(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./86 तारीख 31 मार्च, 1986, और सं. का. आ. 266(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./87 तारीख 30 मार्च, 1987;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(23)/80—सी यू एस]

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Applo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause(a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82 dated the 24th November, 1982, S.O. No. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. No. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983, S.O. No. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. No. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984, S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985, S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986 and S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1989.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA, read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries, (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989.

[F. No. 2(23)|80-CUS]

का. आ. 327(अ):—/18क/उ.वि.वि.अ./88—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 157(अ)/18क/उ.वि. वि.अ./79, तारीख 27 मार्च, 1979, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स लिलि बारले मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग, जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कहा जाता है पश्चिमी बंगाल सरकार को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे। 31 मार्च, 1988 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और

अवधि के लिए जारी रहने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे । [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक) विकास विभाग] के आदेश सं. का. आ. 178 (अ)/18क/उ. वि.वि.अ./84 तारीख 28 जून, 1984 और सं. का. आ. 688(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./82 तारीख 25 सितम्बर, 1982; सं. का. आ. 384(अ) 18क/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 31 मई, 1983; सं. का. आ. 936(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983; सं. का. आ. 469(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./84 तारीख 28 जून, 1984; सं. का. आ 967 (अ)/18क/उ.वि.वि.अ./84, तारीख 28 दिसम्बर, 1984, सं. का. आ. 280(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./85 तारीख 30 मार्च 1985; सं. का.आ. 144(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./86 तारीख 31 मार्च, 1986 और सं. का. आ. 271(अ)/18क/उ.वि.वि.अ./87 तारीख 30 मार्च, 1987 ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1989 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा.स. 2(3)/80-सी.यू.एस.]

ए. वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

S.O. 327(E)|18A|IDRA|88.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA|79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Messrs, Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta was appointed as "Authorised Controller".

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1988 (vide order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982, S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982, S.O. 384(E)|18|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983, S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984, S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985, S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986 and S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the Public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1989.

[F. No. 2(3)|80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

804 DG/88—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1988